

489

राजस्थान सरकार

राज्य योजना विभाग

राजस्थान राज्य योजना

राजस्थान राज्य योजना

9.1.2001

विषय :- राज्य में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ किए गए
स्वांतरण के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 9.1.2001 को कृषि भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ स्वांतरण

आर्थिक की समीक्षा मॉडल में बताया गया है कि जिना साकर की
नगर पालिका क्षेत्रों में कृषि भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने पर
जारी पट्टों में प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिष्ठापी अधिकारी के हस्ताक्षर
कराये जा रहे हैं। उपर्युक्त प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम
की धारा-1959 की धारा-80 के प्रत्यक्ष है। नगर पालिका की
भूमि पर पट्टे जारी करने का अधिकार मात्र स्थितिपाल बोर्ड का है।
अतः पट्टों पर नगर पालिका के अध्यक्ष एवं अधिष्ठापी अधिकारी के
हस्ताक्षर ही कराये जाने हैं।

वृत्तान्त अनुसार पालिका निर्धारित करें।

भवदीय,

एक एन. भास्कराज

राज्य उप सचिव (ग्राम)

प्रतिनिधि, स्निटेराड, स्थानीय निवास विभाग, राजस्थान, जयपुर को
प्रेमि कर देते हैं जिसे वे नगर पालिका/परिषद को भुगतान की
प्रति उपलब्ध करवाने के लिए कहते हैं।

(03)

उप निधि परामर्श